E-12613 HOUS2-MS11/5/2022-V-2 Awas Department

I/102788/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास विभाग–2 देहरादून, दिनांकः 27 फरवरी, 2023।

विषयः मसूरी स्थित प्राधिकरण की (पूर्व लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, जीरो प्वाइंट) 1.7 एकड़ भूमि पर मल्टी स्टोरी पार्किंग एवं वाहन चालकों के लिए डोरमेट्री के निर्माण हेतु 15 मीटर की ऊँचाई अनुमन्य किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या–1455 / 2022, दिनांकः 16.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मसूरी स्थित प्राधिकरण की (पूर्व लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, जीरो प्वाइंट) 1.7 एकड़ भूमि पर मल्टी स्टोरी पार्किंग एवं वाहन चालकों के लिए डोरमेट्री के निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अनुमन्य 11.00 मीटर की ऊँचाई के मानक के सापेक्ष 15.00 मीटर की ऊँचाई अनुमन्य किये जाने एवं शासनादेश सं0–1436 / V-2/18(आ0)10 / 2016, दिनांकः 05.10.2016 के प्राविधानों के अनुसार फ्रीज जोन से अवमुक्त किये जाने की अनुमति / स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) पार्किंग भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी।

(2) पर्वतीय क्षेत्र / मसूरी में अनुमन्य भवन की ऊंचाई 11.00 मीटर के सापेक्ष 15.00 मीटर ऊंचाई की अनुमन्यता के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति / अनुमति के उपरांत मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रकरण में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

EE / AE 01/03
J.C.A 01/03/23 EE

आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
क्रमांक सं0 2571
दि0 28/02/2023
देहरादून

भवदीय,

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 27-02-2023 15:10:30

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

2–संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

3–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

4- गार्ड फाईल।

Mr Nimi